न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

वाद सं :: 91/2023

नागरमल पुत्र कजोड़ उम्र 50 वर्ष जाति कुमावत नि0 ग्राम सांगरवा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

– वादी,

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र कजोड़ । समस्त जाति कुमावत नि0 सांगरवा तहसील
2. रोहिताश पुत्र छिगन । दांतारामगढ़,जिला सीकर।
3. राजेश पुत्र बनवारी ।
4. गुलझारी पुत्र केशर ।
5. रामदेव पुत्र भागीरथ ।
6. मुकेश । पुत्रगण ।
7. अशोक । स्व0 गिरधारी ।
8. दिनेश । ।
9. पटवारी प0ह0 सांगरवा तहसील दांतारामगढ़,सीकर।
10. तहसीलदार, दांतारामगढ़, जिला सीकर।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– . श्री रतनलाल,वकील वादी की ओर से।

दावा बाबत उद्घोषणा तथा स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

निर्णय दिनांक :: 11/12/2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख0नं0 226 रकबा 0.7800 है0 ख0नं0 227 रकबा 0.3800 है0 वाके ग्राम सांगरवा प0ह0 सांगरवा भू0अ0नि0 रैवासा तह0 दांतारामगढ़,सीकर में अवस्थित है,जिसके पुराने ख0नं0 219 रककबा 4 बीघा 17 बिस्वा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित रहे है। वाद की मद सं0 2 अनुसार वादी व प्रति0सं0 1 ता 8 की वंशावली है। विवादित भूमियां वादी एंव प्रति0सं0 1 ता 8 की पैतृक कृषि भूमियां है,जिसकी खातेदारी पूर्व में पड़दादा महादेव पुत्र रामू के खाते कब्जे काश्त में रही है, उनकी मृत्यु क बाद खातेदारी उसके तीन पुत्रों बोदू, केशर, भागीरथ के नाम राजस्व रिकार्ड में विरासतन अंकित कर दी गई। जबकि महादेव के एक पुत्र कालूराम और था, जिसका नाम खातेदारी मे भूल व सहवन से अंकित नहीं हो पाया। किन्तु मौके पर कब्जा काश्त चारों पुत्रों बोदू, केशर, भागीरथ एंव कालू का 1/4, 1/4 चला

Scanned with CamScanner

आ रहा है। कालान्तर में बोदू, केशर, भागीरथ एंव कालूराम की मृत्यु के बाद उनके विधिक वारिसान वादी एंव प्रतिवादीगण सं0 1 ता 8 मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी द्वारा वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 11 की उप मद क,ख,ग व घ अनुसार वाद वादीगण डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 लगायत 10 बाबजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आए । रजिस्टर्ड तामील हाजिर नहीं आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी द्वारा साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र पेश किया गया। प्रकरण में विवादित आराजी के कब्जे की रिपोर्ट तहसीलदार,दांतारामगढ़ ली जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक भू0अ0/24/5517 दिनांक 24.10.24 के द्वारा रिपोर्ट भिजवाई गई,जिसमें प0ह0 सांगरवा द्वारा रिपोर्ट की गई है कि ग्राम सांगरवा के ख0नं0 226, 227 के मौके पर उपस्थित खातेदार नागरमल कुमावत पुत्र कजोड़मल, ग्यारसीलाल पुत्र कजोड़मल एंव अन्य मौत विरानों की उपस्थित में उक्त खसरा नम्बरान का मौका निरीक्षण किया गया, मौके पर किसी खातेदार ने कोई आवासीय मकानात नहीं बना रखा है, उक्त खसरा नम्बर में बाहमी बंटवारे की न कोई मौके पर सींव–नींव बनी हुई है तथा मौके पर भूमि पड़त होना बताया है।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ–पत्र एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ पत्रांक भू0अ0/24/5517 दिनांक 24.10.24 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमियां पैत्रिक भूमिया है तथा कालूराम के मृत्यु प्रमाण से भी जाहिर है कि मृतक कालूराम महादेव का ही पुत्र है। तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा मौके पर भूमि पड़त होना बताया है। इस प्रकार वादी का वाद वादी के पक्ष में साबित होना पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर आराजी भूमियां ख0नं0 226 रकबा 0.7800 है0, ख0नं0 227 रकबा 0.3800 है0 वाके ग्राम सांगरवा, प0ह0 सांगरवा, भू0अ0नि0 रैवासा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर में से वादी व प्रतिवादी सं0 1 को 1/4, प्रति0सं0 2 व 3 को 1/4, प्रति0सं0 4 को 1/4 हिस्से तथा प्रति0सं0 5 को 1/8, प्रति0सं0 6 ता 8 को संयुक्त रूप से 1/8 भाग का खातेदार,काश्तकार उद्घोषित कर तहसीलदार, दांतमारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner